mail

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./बी–6/नियमन/समर्थन मूल्य/248/1438 भोपाल, दि. 29/06/2021

प्रति,

1–संयुक्त /उप संचालक,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय....................................... (समस्त)

2–सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति..................................... (समस्त)

विषयः– प्राईज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत किये गये उपार्जन के मण्डी फीस के भुगतान से छूट के संबंध मे।

संदर्भः– मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14 जून 2021

विषय संदर्भ मे भारत सरकार की ''प्राईज सपोर्ट स्कीम'' के अंतर्गत रबी वर्ष 2020–21 में केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओ के द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्स ''चना, मसूर एवं राई–सरसो'' का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाना है।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद् द्वारा केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओ द्वारा ''प्राईज सपोर्ट स्कीम'' के अंतर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स ''चना, मसूर एवं राई–सरसो'' की प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय मात्रा पर देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की जाती है। जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 14 जून 2021 को हुआ है। सुलभ संदर्भ हेतु राजपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपके संभाग अन्तर्गत मंडियों मे आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

संयुक्त संचालक(नियमन)
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 जून 2021—ज्येष्ठ 24, शक 1943

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2021

क्र. AGR-18-0194-2021-Sec-2-चौदह.—भारत सरकार की "प्राईज सपोर्ट स्कीम" के अन्तर्गत रबी वर्ष 2020-21 में केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं के द्वारा अधिसूचित कृषि जिन्स "चना, मसूर एवं राई-सरसों" का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाना है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, एतद्द्वारा, केन्द्र/राज्य शासन की संस्थाओं द्वारा "प्राईज सपोर्ट स्कीम" के अन्तर्गत अधिसूचित कृषि जिन्स "चना, मसूर एवं राई-सरसों" की प्रदेश के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय मात्रा पर, देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की जाती है.

"चना, मसूर एवं राई-सरसों" के लिए दिनांक 15 मार्च 2021 से नियत उपार्जन तिथि तक "प्राईज सपोर्ट स्कीम" के अन्तर्गत किये गये उपार्जन के लिए मण्डी फीस के भुगतान से उक्त छूट प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2021

क्र. AGR-18-0194-2021-Sec-2-चौदह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 14 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप कुमार, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th June 2021

No. AGR-18-0194-2021-Sec-2-XIV.—Notified Agriculture Produce "Chana, Masoor and Rai-Sarso" is being procured at Minimum Support Price by the agencies appointed by Government of India/State Government, under the Government of India's "Price Support Scheme".

In exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempt the agencies appointed by GOI/State Government for procurement of notified agriculture produce "Chana, Masoor and Rai-Sarso" at Minimum Support Price under the "Price Support Scheme" from the farmers of the state, from payment of market fee.

The above exemption from payment of market fee shall be effective from the date of beginning of procurement in case of "Chana, Masoor and Rai-Sarso" from 15th March 2021 to the untill due date.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DILIP KUMAR, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.